



2026:AHC:165611

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26579 वर्ष 2026

जुबैर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्ष(गण)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : संदीप कुमार श्रीवास्तव
विपक्ष(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष कुमार त्रिपाठी को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, , थाना गजरौला, जनपद जे.पी. नगर (अमरोहा) में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 333, 65(1), 351(2) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4(2) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 196 वर्ष 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचनादाता को नोटिस की तामील करा दी गई है।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है तथा पीड़िता और प्रथम सूचनादाता विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने पीड़िता के साथ बलात्कार किए जाने के आरोप का समर्थन नहीं किया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



पीड़िता की आयु 15 से 16 वर्ष पाई गई है, हालाँकि उसकी आयु के संबंध में कोई शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता की चिकित्सीय-कानूनी रिपोर्ट उसके साथ बलात्कार किए जाने की घटना का समर्थन नहीं करती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक 4.5.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदक को जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक द्वारा लगभग 14 वर्ष की आयु की पीड़िता को अश्लील तस्वीरें दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया जाना बताया गया है, हालाँकि पीड़िता और प्रथम सूचनादाता विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने पीड़िता के साथ बलात्कार किए जाने के आरोप का समर्थन नहीं किया है। रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार पीड़िता की आयु 15 से 16 वर्ष पाई गई है, हालाँकि उसकी आयु के संबंध में कोई शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है और पीड़िता की चिकित्सीय-कानूनी रिपोर्ट उसके साथ बलात्कार किए जाने की घटना का समर्थन नहीं करती है। आवेदक 4.5.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों की भारी लंबितता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो 2025 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 3038 में प्रकाशित है, के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए दिशा-निर्देश, जो 2024 एस.सी.सी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रकाशित हैं, को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9. आवेदक- जुबिर, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के दो जमानतदारों एवं व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

11. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

7 अगस्त, 2026

अभिषेक

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।